कार्यालयः- महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, फतेहाबाद

विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को शिक्षुक अधिनियम-1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण और भत्ता देय होगा। ट्रेड-वार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1	डीजल मैकेनिक	10
2	विद्युतकार	06
3	वेल्डर	01
4	फिटर	01

इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीकरण ऑनलाइन लिंक https://www.apprenticeshipindia.gov.in/login पर तिथि 28.11.2026 से 02.12.2026 तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड, आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी की गई आई०टी०आई० पास की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र और आवासीय प्रमाण-पत्र भी अपलोड करें और उम्मीदवार अपनी ई-मेल आई०डी० सही लिखें। कोई भी आवेदन सीधे तौर पर कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चयन के लिए नियम व शर्तें:-

1. आवेदन के समय उम्मीदवार पूर्ण प्रोफाइल भरेगा।
2. उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी हो।
3. उम्मीदवार ने जिस ट्रेड से आई०टी०आई० पास की है, केवल उसी ट्रेड में आवेदन करेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 02.12.2026 के उपरांत तिथि 03.12.2026 को कार्यालय में गठित कमेटी के समक्ष अपनी प्रोफाइल, मूल दस्तावेज और आई०टी०आई० अंकों का मिलान करवाएगा। इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार इस दौरान कमेटी के समक्ष दस्तावेज का मिलान नहीं करवाएगा तो उसकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. शिक्षुओं का चयन आई०टी०आई० से प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार किया जाएगा।
6. शिक्षुता ग्रहण कर चुके उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा।
7. चयनित उम्मीदवारों को निश्चित तिथि पर कार्यग्रहण करना होगा तथा उन्हें ई-मेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
8. अंतिम सूची तिथि 07.12.2026 को जारी की जाएगी।

महाप्रबंधक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
फतेहाबाद

PRDH-1119/11/968/2027/51310/67/6